यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2** के माह 09/2015 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो **श्री शरत श्रीवास्तव एवं** श्री एस0के0 गुप्ता सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा दिनॉक 08.06.2018 से 18.06.2018 तक श्री **सुनील कल्ला**, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

## भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री **प्रदीप कुमार मौर्य, श्री मनीष श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा श्री रणवीर सिंह, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में 04.09.2015 से 14.09.2015 तक संपादित की गई** जिसमें माह 12/2013 से 08/2015 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2015 से 05/2018 तक के लेखा–अभिलेखों की जॉच की गयी।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (सिंचाई प्रखण्ड), रुद्रप्रयाग के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 250 एवं अधिक के बसावटों को मोटर मार्ग से संयोजित करना है। इसके अतिरिक्त स्टील एवं आरसीसी सेतु का भी निर्माण किया जाता है। कार्यालय का कार्य क्षेत्र कर्णप्रयाग-02 का ग्रामीण क्षेत्र है।

**(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः**

**(रु0 लाख में)**

| वर्ष | प्रारम्भिक अवषेष | | स्थापना | | गैरस्थापना | | स्थापना | | गैर स्थापना | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | स्थापना | गैर स्थापना | आबंटन | व्यय | आबंटन | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) | आधिक्य (+) | बचत (-) |
| 2015&16 | – | – | 75.75 | 62.09 | 1721.26 | 1424.35 | – | | – | 310.57 |
| 2016&17 | – | 67.11 | 126.28 | 61.58 | 1942.49 | 1599.28 | – | | – | 475.02 |
| 2017&18 | – | 69.62 | 96.76 | 87.39 | 1503.05 | 955.38 | – | | – | 626.66 |

नोटः 1. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को स्थापना मद एवं गैर स्थापना के अवशेष बजट का सर्मपण किया गया।

2. **स्थापना एवं गैर-स्थापना मद मे वित्तीय वर्ष के अन्त में समर्पित की गई राशि का विवरण निम्नवत है -**

| **मद** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| इश्टेब्लिशमेंट | 13.66 | 64.70 | 9.37 | **87.73** |
| प्रोग्राम फंड | 223.47 | 339.72 | 366.50 | **929.69** |
| ऍडमिन फंड | 0.02 | 0 | 0.05 | **0.07** |
| अनुरक्षण फंड | 6.31 | 0.98 | 2.11 | **9.40** |
| योग | **243.46** | **405.4** | **378.03** | **1026.89** |

**(ब)** केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् हैः

(रु0 लाख में)

| वर्ष | योजना का नाम | प्रारम्भिक अवशेष | प्राप्त | व्यय | आधिक्य (+) | बचत (-) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015—16 | पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड एवं एडमिन फंड | - | 1605.69 | 1382.20 | — | 223.49 |
| 2016—17 | | - | 1885.17 | 1546.15 | — | 339.72 |
| 2017—18 | | - | 1262.70 | 896.15 | — | 366.55 |

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में पीएमजीएसवाई प्रोग्राम फ़ंड एवं एडमिन फंड की अवशेष धनराशि का समर्पण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है-

| **मद** | **2015-16** | **2016-17** | **2017-18** | **योग** |
|---|---|---|---|---|
| **प्रोग्राम फ़ंड** | 223.47 | 339.72 | 366.50 | **929.69** |
| **एडमिन फंड** | 0.02 | 0 | 0.05 | **0.07** |
| **योग** | **223.49** | **339.72** | **366.55** | **929.76** |

**(iii)** इकाई को बजट आबंटन प्रोग्राम फंड (पीएमजीएसवाई) मद में केंद्र से प्राप्त होता है एवं अनुरक्षण, प्रशासन, आपदा एवं क्षतिपूर्ति मद मे राज्य सरकार से प्राप्त होता है। गैर-स्थापना एवं स्थापन ब्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई "ब" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

सचिव ग्राम्य विकास, उत्तराखंड शासन

⇩

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यूआरआरडीए

⇩

मुख्य अभियंता यूआरआरडीए

⇩

मुख्य अभियंता गढ़वाल क्षेत्र

⇩

मुख्य अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, गोपेश्वर

⇩

अधीक्षण अभियंता, लो नि वि,
पीएमजीएसवाई वृत्त, गोपेश्वर

⇩

अधिशासी अभियंता, पीएमजीएसवाई,
(पीडबल्यडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2

⇩

सहायक अभियंता पीएमजीएसवाई,
(पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2

⇩

कार्यालयी विभागीय अधिकारी, कनिष्ठ अभियंता एवं कर्मचारी पीएमजीएसवाई,
(पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2

**(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** लेखापरीक्षा में **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन

आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। **माह 03/2017** एवं **03/2018** को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

**(v)** लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक– महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

**भाग-दो(अ)**

**प्रस्तर- 1- विशिष्टियों और दरो से अलग किये गये कार्य को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना रु 87.73 लाख का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया जाना।**

ल्वाणी घुड़ी मोटर मार्ग 15.770 किमी. स्टेज ii की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रु. 880.10 लाख की प्रदान की गयी थी (मार्च 2014) तथा अधीक्षण अभियंता के पत्रांक 746/25 यात्रा पी.एम.जी.एस.वाई/14 दिनांक 27.06.2014 द्वारा रु. 880.10 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृतियों के सापेक्ष अनुबंध संख्या 09/एस.ई.-पी.एम.जी.एस.वाई./2014-15 दिनांक 05-07-2014 द्वारा रु. 791.32 लाख (निर्माण) एवं रु. 80.39 लाख (रखरखाव) का अनुबंध किया गया था।

स्टेज-II के अभिलेखो (डीपीआर तकनीकी स्वीकृति, अनुबंध, माप पुस्तिका, विचलन पत्रावली एवं अंतिम रनिंग बिल) की जांच करने में पाया गया कि घाट ब्लॉक का मदवार दर वर्ष 2013-14 के आधार पर दिया गया था। जिसके अनुसार स्टेज II का अनुबंध किया गया एवं कार्य कराये गये। अभिलेखों की आगे जांच करने पर निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आयेः-

**1.** डबल्यूबीएम ग्रेड 3 मैकेनिकल साधन से कार्य कराने का वर्ष 2013-14 में दरों की अनुसूची में दर रु. 1956.00 निर्धारित गया था। लेकिन अनुबंध में आंगणित दर रु. 2028.50 दी गयी थी। जिसके आधार पर निविदा दर रु. 2025.00 (आंगणन से कम) की प्राप्त हुई और वर्तमान (03/2018 के 20वें) बिल में 4630.00 Cum का रु. 2025.00 की दर से रु. 9375750.00 का भुगतान किया गया। जबकि 4630.00 Cum का दरों की अनुसूची में दिये गये 1956.00 की दर से रु. 9056280.00 से अधिक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए था। अतः रु. 319470.00 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

2. इसी प्रकार, GSB/Surface source with local material का वर्ष 2013-14 में रेट कार्ड 61778-4-11-1 में दर रु. 482.00 अंकित था। लेकिन अनुबंध में आंगणित दर रु. 1267.10 लिया गया। जो Construction of granular sub base by providing well graded material की दर थी। जिसके आधार पर रु. 1265.00 की दर से अनुबंध करके मार्च 2018 के बिल के अनुसार 10797.95 Cum @ 1265.00 = 136,59,406.75 का भुगतान किया जा चुका है। जबकि GSB/Surface source with local material का वर्ष 2013-14 में दिये गये दरों की अनुसूची में रु. 482.00 की दर से 10797.95 Cum का कुल रु. 5204611.90 से अधिक नहीं होना चाहिये। अतः रु. 84,54,794.10 का ठेकेदार को अधिक भुगतान किया गया।

इकाई से इस संबंध में पूछने पर बताया गया कि डबल्यूबीएम ग्रेड III में मैकनिकल की जगह मैनुअल की दर ली गई है तथा कार्य की आवश्यकतानुसार मौके पर जीएसबी सामग्री उपलब्ध न होने के कारण अन्य जगहों से वेल ग्रेडेड जीएसबी सामग्री का उपयोग किया गया था। जिस कारण वेल ग्रेडेड जीएसबी सामग्री की एसीआर दर पर भुगतान किया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था, उपर्युक्त दोनों प्रकरणों में यदि कार्य की प्रकृति या सामग्री की दर में परिवर्तन किया गया तो सक्षम प्राधिकारी से विभिन्नता विवरण अनुमोदित होनी चाहिये थी। जो इकाई द्वारा नहीं कराया गया और (रु. 3.19 लाख + रु. 84.54 लाख) = रु. 87.73 लाख का अधिक व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के किया गया।

अतः विशिष्टियों और दरों से अलग किये गये कार्य को सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना रु. 87.73 लाख का ठेकेदार को अधिक भुगतन किये जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

**भाग दो –"ब"**

**प्रस्तर:-1- विलंब से पूर्ण हुए 08निर्माण कार्यों मे रु. 18.29 लाख कम एलडी (Liquidated Damages) की वसूली।**

अनुबंध के मानक निविदा दस्तावेज़ (Standard Bidding Document एसबीडी) के बिन्दु संख्या-20(C) के अनुसार नियोक्ता द्वारा कार्य पूर्ण होने मे निर्धारित समयावधि से अधिक समय लगने अर्थात विलंब होने पर अनुबंध मूल्य के 1% प्रति सप्ताह की दर से LD (Liquidated Damages) आरोपित किया जाएगा, जो कि अनुबंध मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत तक होगा, और इन दोनों मे से जो भी कम हो, उसे आरोपित किया जाएगा। कार्यपूर्ति दिवस मे अधिकता को अभियंता द्वारा प्रामाणिक कारणों से बढ़ाया जा सकेगा। अन्यथा, अभियंता द्वारा निर्णीत हर्जाने (एल डी) को अगले भुगतान प्रमाण पत्र (payment certificate) से समायोजित किया जाएगा [ एसबीडी 44.2]। एलडी के संबंध मे नियोक्ता का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा [एसबीडी 44.3]।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी डबल्यू डी), कर्णप्रयाग-2 में 2015-16 से 2017-18 के दौरान किए गए 23 निर्माण कार्यों (फेज-VI से फेज-XIII) की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि 08 निर्माण कार्य 20 सप्ताह से लेकर 156 सप्ताह तक के विलम्ब से पूर्ण हुए थे जिस पर इकाई को न्यूनतम 1% की दर से एलडी कटौती की वसूली ठेकेदार के अंतिम बिलों से करनी थी, परंतु इकाई द्वारा मात्र 0.1 प्रतिशत से 0.5 प्रतिशत तक की की दर से रु. 7.09 लाख एलडी की कटौती मात्र 08 कार्यों पर ही की गई, जबकि एसबीडी के प्रावधानों के अनुसार अनुबंध लागत के न्यूनतम एक प्रतिशत की दर से रु. 25.38 लाख की कटौती 08 विलम्ब से पूर्ण हुए कार्यों के अंतिम देयकों से की जानी थी। इस प्रकार इन कार्यों मे रु. 18.29 लाख कम एलडी की कटौती की गई जबकि एलडी की वसूली न्यूनतम एक प्रतिशत की दर से किए जाने हेतु शासन/उच्चाधिकारियों से भी निर्देश इकाई को प्राप्त हुए परंतु इन निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। (संलग्नक-A)

लेखा परीक्षा द्वारा एसबीडी में उल्लेखित न्यूनतम एक प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.1 ~ 0.5 प्रतिशत की दर से कटौती किए जाने का आधार पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि ठेकेदारों के अनुरोध एवं कार्य की जटिलताओं के कारण एक प्रतिशत के स्थान पर मात्र 0.1 ~ 0.5 प्रतिशत की दर से से एलडी की कटौती की गई।

इकाई का उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं है क्योंकि एसबीडी के अनुसार एलडी की न्यूनतम दर एक प्रतिशत पूर्व मे ही निर्धारित थी एवं इसके अतिरिक्त एक प्रतिशत से कम दर पर एलडी की वसूली के संबंध में कोई पृथक से शासन/यूआरआरडीए से निर्देश नहीं प्राप्त हुआ था। एसबीडी एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देश का अनुपालन नहीं किए जाने के कारण इकाई द्वारा विलम्ब से पूर्ण हुए कार्यों पर रु. 18.29 लाख कम एलडी की वसूली की गई, जिससे सरकारी हित को नुकसान पहुंचा है।

**इस प्रकार विलंब से पूर्ण हुए 08 निर्माण कार्यों मे रु. 18.29 लाख कम एलडी (Liquidated Damages) की कटौती/वसूली का प्रकरण शासन के संज्ञान में लाया जाता है।**

## संलग्नक-A

| क्र0सं0 | योजना का नाम | कार्य प्रारम्भ की तिथि | अनुबन्ध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि | कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि | विलंब दिनों की संख्या | आरोपित एलडी | अनुबंध की लागत (Rs.) | न्यूनतम 1% की दर से आरोपित एलडी की राशि (रु.) | कम आरोपित की गई एलडी की राशि (रु.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | काण्डई–पगना मोटर मार्ग स्टेज–। | 20.03.08 | 19.03.09 | 30.07.12 | 39 माह | 162976.00 | 32195000 | 321950 | 158974 |
| 2 | श्रीकोट मथकोट मोटर मार्ग स्टेज–। | 09.12.10 | 08.12.11 | 14.04.14 | 27 माह | 85951.00 | 21551000 | 215510 | 129559 |
| 3 | ल्वाणी–घूनी मोटर मार्ग के कि0मी0 11.00 में 30मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु | 17.06.11 | 16.03.12 | 08.07.15 | 39 माह | 19257.00 | 9912000 | 99120 | 79863 |
| 4 | नैनी आई सी डुंग्री मोटर मार्ग स्टेज–। | 28.07.14 | 27.07.15 | 03.01.16 | 05 माह | 22673.00 | 18946000 | 189460 | 166787 |
| 5 | कनखुल तल्ला ग्वाड मोटर मार्ग स्टेज–। एवं ।। | 04.08.14 | 03.11.15 | 02.05.16 | 06 माह | 48167.00 | 43748000 | 437480 | 389313 |
| 6 | कुरुड–माण्खी मोटर मार्ग स्टेज–। | 12.01.11 | 11.01.12 | 30.11.13 | 22 माह | 54637.00 | 9419000 | 94190 | 39553 |
| 7 | ल्वाणी–घूनी मोटर मार्ग स्टेज–। | 21.06.06 | 20.06.07 | 30.10.12 | 39 माह | 123363.00 | 31213000 | 312130 | 188767 |
| 8 | सिमली पेट्रोल पम्प से सेनू मोटर मार्ग स्टेज–।। | 25.08.14 | 24.02.16 | 16.05.2017 | 14 माह | 192236.00 | 86857000 | 868570 | 676334 |
| | | | | | | **709260.00** | **253841000** | **2538410** | **1829150** |

**भाग-दो(ब)**

**प्रस्तर-2- सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना स्पान ब्रिज के निर्माण में स्थल परिवर्तन के कारण इकाई को रु. 13.56 लाख की हानि तथा संशोधित ड्राइंग के अनुमोदन के बिना कार्य करके माह 03/2018 तक रु. 109.61 लाख का व्यय किया जाना।**

कंडाई से पगना मोटर मार्ग पर 13 किमी. क्रॉस सेक्शन सं. 5-7 पर 48 मीटर स्पान स्टील गर्डर ब्रिज का निर्माण फेस IX के अंतर्गत किये जाने की भारत सरकार से स्वीकृति नवम्बर 2011 से प्राप्त हुई थी। प्राविधिक स्वीकृति के अनुसार सेतु निर्माण की  लागत रु. 204.72 लाख तथा अनुरक्षण लागत रु. 7.47 लाख थी। निर्माण कार्य पर रु. 232.70 लाख (18.49% आधिक्य) का अनुबंध संख्या 11/एस.ई.पीएमजीएसवाई/2012-13 दिनांक से आरम्भ कर जनवरी 2014 तक पूर्ण किया जाना था।

अभिलेखों के निरीक्षण में पाया गया कि 48 मी. का कार्य वर्ष 2013 में आरम्भ कर दिया गया था, तथा जून 2014 तक किय  गये माप के अनुसार एक अबेटमेंट के समस्त कार्य एवं कुछ अतिरिक्त कार्य किया जा चुके थे। तथा जुलाई 2014 तक रु. 59.46 लाख का भुगतान किया जा चुका था। अभिलेखानुसार दो वर्ष पश्चात मार्च 2015 में एसक्यूएम की सलाह पर सेतु निर्माण का वर्तमान स्थल अनुपयुक्त पाया गया तथा 200 मीटर दूर एक नए स्थल का चयन कर 48 मीटर स्पान की जगह 18 मीटर स्पान पुल का चयन मार्च 2016 में किया जाना प्रस्तावित किया गया। जिसका भू वैज्ञानिक द्वारा परीक्षण भी किया गया। तथा निर्माण की अनुमति 12/2015 में प्राप्त की गयी। ठेकेदार द्वारा अक्टूबर 2016 में 18 मीटर स्पान ब्रिज का कार्य प्रारम्भ किया गया। तथा आंशिक रुप से app roach cutting एवं abutment की खुदाई का कार्य किया गया। पुनः जून 2017 में स्थल चयन समिति के सुझाव पर कि Sub soil की bearing capacity कम है उक्त स्थल पर 18 मीटर के स्पान की जगह 24 मीटर का स्पान का ब्रिज बनाया  जाना उचित होना के आधार पर रु. 193.47 लाख का प्रस्ताव अधीक्षण अभियंता से अगस्त 2017 में स्वीकृत कराया गया। न तो 18 मीटर और न ही 24 मीटर स्पान पुल की संशोधित ड्राइंग भारत सरकार और मुख्य अभियंता द्वारा स्वीकृति करायी गयी। 48 मीटर स्पान पुल की ड्राइंग के मानकों के आधार पर 24 मीटर स्पान ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। माह 03/2018 के अंतिम देयक ठेकेदार को कुल रु. 109.61 लाख का भुगतान किया जा चुका था।

आगे अभिलेखों के निरीक्षण में यह भी पाया गया कि 48 मीटर स्पान पुल के निर्माण में जुलाई 2014 तक रु. 59.46 लाख के भुगतान में रु. 45.90 लाख का भुगतान फेब्रिकेशन की आपूर्ति हेतु किया गया था। जिसको 24 मीटर के स्पान ब्रिज में सायोजित किया जाना था। तथा इकाई 48 मीटर स्पान पुल के निर्माण में रु. 13.56 लाख की हानि हुई। कार्य की समाप्ति तिथि जनवरी  2014 के चार वर्ष व्यतीत होने के बावजूद कार्य वर्तमान तक सम्पन्न नहीं हो पाया।

इकाई से इस संबंध में पूछे जाने पर कि क्या संशोधित ड्राइंग को अनुमोदित करवाया गया था। तथा 48 मीटर के स्पान ब्रिज का स्थल परिवर्तन क्यों कराया गया। इकाई ने अपने उत्तर में बताया कि वर्ष 2013 में

दैवीय आपदा आने के कारण वर्ष 2015 में एसक्यूएम द्वारा स्थल को अनुपयुक्त बताया गया था। तथा 48 मीटर एवं 24 मीटर स्पान की विशिष्टियां समान होने के कारण संशोधित ड्राइंग का अनुमोदन नहीं कराया गया।

इकाई का उत्तर मान्य नहीं था क्योकि एसक्यूएम कि रिपोर्ट मे मात्र तकनीकी कारणो से अबटमेंट की ऊंचाई बढ़ाने के लिये कहा गया था। तथा स्थल उपर्युक्त न होने के कारण पैदल चलने वाले ब्रिज के समीप कम स्पान का ब्रिज वैकल्पिक रूप मे निर्माण किया जा सकता है की सलाह दी गयी थी। एसक्यूएम की दो वर्ष पश्चात दी गयी सलाह पर बिना मुख्य अभियंता के अनुमोदन के स्थल परिवर्तित किया गया। तथा संशोधित ड्राइंग पर भी भारत सरकार तथा मुख्य अभियंता का अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया।

अतः सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना स्थल परिवर्तन के कारण जहां एक ओर इकाई को न केवल 48 मीटर स्पान पर किया गया व्यय रु. 13.56 लाख जिसको समायोजित नहीं किया जा सका, की हानि हुई वही दूसरी ओर संशोधित ड्राइंग के अनुमोदन के बिना कार्य कराके परिवर्तन स्पान पर माह 03/2018 तक रु. 109.61 लाख का व्यय किया गया।

**भाग-दो(ब)**

**प्रस्तर-3- 4 मीटर तक के retainingWall/BrestWall का निर्माण RRDryMasonry मे न कर के RRstone 1:5 Masonry मे कर के रु 4.24 लाख का अतिरिक्त व्यय**

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली मे फेज 5 मे काण्डई पगना मोटर मार्ग जिसकी लंबाई 14.90 कि० मी० थी, के निर्माण कार्य हेतु रु 245.31 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी । इस कार्य के लिए अनुबन्ध सं 23/SE-7/ 2007-08 दिनाक 20.03.2008 को गठित किया गया जिसकी अनुबन्ध राशि रु 321.95 लाख थी। कार्य प्रारम्भ की तिथि 20/03/2008 तथा कार्य पूर्ण की तिथि 19/03/2009 थी। प्राविधिक टिप्पणी के बिन्दु सं 14 मे यह भी निर्देशित किया गया था कि retainingWall/BrestWall के निर्माण से पूर्व अधीक्षण अभियन्ता से पुनः संस्तुति एवं स्वीकृति प्राप्त की जाये एवं इनकी लोकेशन अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदित कारवाई जाये।

अभिलेखो की जांच मे पाया गया कि प्राविधिक स्वीकृति मे दर्शाये गए cross section तथा माप पुस्तिका मे दर्शाये गए crosssection भिन्न थे । अतः परिवर्तित लोकेशन की पूर्व स्वीकृति अधीक्षण अभियंता से प्राप्त की जानी चाहिये थी जो नहीं ली गयी । साथ ही प्राविधिक स्वीकृति मे दर्शाये गए सभी retainingWall/BrestWall जिनकी ऊंचाई 4 मीटर से कम थी, को RRDryMasonry मे किया जाना था परंतु माप पुस्तिका मे retainingWall/BrestWall जो कि 04 मीटर से कम या 04 मीटर का था, का निर्माण RR 1.5 Stone Masonry मे किया गया । **(विवरण संलंग)** जिसकी दर रु 1550.57/- cum थी , जबकि RRDryMasonry रु 772.08/- per cum की दर से स्वीकृत थी ।

इकाई से इस संबंध मे पूछने पर बताया गया कि कार्य की वास्तविक स्थिति के कारण 4.00 मीटर से कम की रिटेनिंग वाल /ब्रेस्ट वाल आर आर ड्राई मे न कराकर आर आर 1:5 मे कराया गया । भविष्य मे ऐसे कार्यो का जस्टीफ़िकेशन सक्षम प्राधिकारी को भेजकर अनुमोदन ले लिया जायेगा।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि 4 मीटर तक के retainingWall/BrestWall का निर्माण RRDryMasonry मे न कर के RRstone 1:5 Masonry मे कर के रु 4.24 लाख का अतिरिक्त व्यय किया गया।

**संलग्नक-अ**

| Cross section | Lx B x H | Total Cum | Due | Drawn | Excess paid |
|---|---|---|---|---|---|
| **8th Running bill** | | | | | |
| 7/10 | 8.90 x (1.6+2.25/2) x 3.25 | 55.68 | 42989.89 | 86335.73 | 43345.84 |
| | 4x ( 2.25+3/2) x 3 | 31.50 | 24320.52 | 48842.95 | 24522.43 |
| | 12x ( 1.6+ 2.25/2) x (1.80+2.60/2) | 50.68 | 39129.01 | 78582.88 | 39453.87 |
| 13/14 | 8.10x (1.2+1.0/2) x 1.10 | 9.80 | 7566.38 | 15195.58 | 7629.20 |
| | 7.20 x (0.50+1.35/2) x 3.50 | 23.31 | 17997.18 | 36143.78 | 18146.60 |
| **9th Running bill** | | | | | |
| 13/5 | 7.50 x(0.6+0.9/2) x 4 | 22.50 | 17371.80 | 34887.82 | 17516.02 |
| 14/5 | 13 x (0.5+1.5/2)x 4 | 52 | 40148.16 | 80629.64 | 40481.48 |
| | 4x (0.5+1/2) x 2 | 6 | 4632.48 | 9303.42 | 4670.94 |
| | 6x (1.4+1.6/2) x 2 | 18 | 13897.44 | 27910.26 | 14012.82 |
| **11th Running bill** | | | | | |
| 0/6 | 14x 1.55x2 | 43.40 | 33508.27 | 67294.73 | 33786.46 |
| **12th Running bill** | | | | | |
| 4/13 | 8.50 x (0.60 +1/2) x 1.50 | 10.20 | 7875.21 | 15815.81 | 7940.60 |
| | 14.50 x (0.60+1/2) x1.50 | 17.40 | 13434.19 | 26979.91 | 13545.72 |
| 0/6 | 8.70 x (1.2+ 1.5/2) x 2 | 23.49 | 18136.15 | 36422.88 | 18286.73 |
| 13/4 | 8.45 x (0.6+ 1.10 /2) x 2 | 14.36 | 11087.06 | 22266.18 | 11179.12 |
| 13/4 | 8.45 x (0.6+ 1.10 /2) x 2 | 14.36 | 11087.06 | 22266.18 | 11179.12 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9.75 x (0.6+ 1.10 /2) x 2 | 16.57 | 12793.36 | 25692.94 | 12899.58 |
| | 7.85 x (0.6+ 0.9 /2) x 1.50 | 8.83 | 6817.46 | 13691.53 | 6874.07 |
| | 8.45 x (0.6+ 0.9 /2) x 1.50 | 9.50 | 7334.76 | 14730.41 | 7395.65 |
| | 9.75 x (0.6+ 0.9 /2) x 1.50 | 10.96 | 8461.99 | 16994.24 | 8532.25 |
| **13th Running bill** | | | | | |
| 12/13 | 7.45x(1.20 +1.50/2) x 1.80 | 18.10 | 13974.64 | 28065.31 | 14090.67 |
| | 13.8 x(1.20 +1.50/2) x 1.65 | 30.73 | 23741.07 | 47649.01 | 23907.94 |
| 13/14 | 5x(0.50+1.30/2) x 4 | 18 | 13897.44 | 27910.26 | 14012.82 |
| | 4x(0.50+1.0/2) x 1.30 | 8.2 | 6331.05 | 12714.67 | 6383.62 |
| | 6.60x(0.50+1.30/2) x 3.90 | 31.68 | 24459.49 | 49122.05 | 24662.56 |
| | 0.50x0.50 x 1 | 0.25 | 193.02 | 387.42 | 194.62 |
| | | | | | **424650.73** |

**STAN**

**प्रस्तर :1- मोलागढ़-मताई मोटर मार्ग स्टेज-I में विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं कराये जाने के कारण रु. 71.67 लाख का अधिक भुगतान एवं अपूर्ण क्रॉस-ड्रेनेज के कारण अधोमानक कार्य**

**शासन द्वारा** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेस-IV (पैकेज संख्या -UT 0307) के अंतर्गत ब्लॉक घाट में 10.84 किमी लंबे मोलागढ़-मताई मोटर मार्ग के स्टेज-I में निर्माण हेतु रु. 182.97 लाख एवं पाँच वर्षों के अनुरक्षण हेतु रु. 44.28 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई (21.12.2005)। विभाग द्वारा रु. 179.81 के आगणन के सापेक्ष मै0 इंजनियर ब्रदर्स की निविदा 0.05 प्रतिशत कम अर्थात रु. 179.72 लाख पर स्वीकार कर लिया गया और बॉन्ड 15 /S.E.-38/06 दिनांक 20.03.2006 का गठन किया गया। अनुबंध के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि 19.03.2007 थी, परंतु वास्तविक रूप से कार्य 25.07.2015[1] को समाप्त हुआ। कार्य की नमूना लेखा परीक्षा जांच में निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आए-

1. अनुबंध की लागत रु. 179.72 लाख के सापेक्ष रु. 362.44 लाख का व्यय कर दिनांक 25.07.2015 को मोटर मार्ग निर्माण कार्य पूर्ण किया गया।

2. संलग्नक-A के क्रमांक 1-रैंडम रबल मैसनरी कार्य की मात्रा अनुबंध में अनुमोदित मात्रा 449.00 CuM के सापेक्ष 2643.45 CuM ( 439प्रतिशत अधिक (थी। रैंडम रबल मैसनरी का उपयोग पैरापेट ,स्कप्पर इत्यादि के निर्माण में होता है ,जबकि इनके अंतर्गत किए गए कार्य अनुबंध में निर्धारित परिमाण से कम हैं। इसलिए रैंडम रबल मैसनरी का उपयोग तकनीकी स्वीकृति प्राप्त BOQ से ज्यादा नहीं होना चाहिए और विशिष्टियों का अनुपालन किया जाना चाहिए था। ठेकेदार द्वारा उपरोक्त विशिष्टियों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण निर्माण कार्य में "Random Ruble Stone masonary laid in 1:5 cement, local sand by locally available approved stone including supply of all material labour, T&P etc" पर रु 43.40 .लाख का अधिक भुगतान किया गया था।

3. .3रैंडम रबल मैसनरी की अनुबंध में स्वीकृत दर रु 1523.82 .प्रति CuM थी ,परंतु अंतिम देयक में भुगतान रु 1978.00 . प्रति CuM के दर से किया गया जिससे रु 12.00 .लाख अधिक भुगतान करना पड़ा।

.4पैरापेट 440 की जगह पर मात्र 231 बनाए गए थे जो विशिष्टियों से 52.5 प्रतिशत कम था।

.5रैंडम रबल मैसनरी ड्राई में अनुमोदित विशिष्टि से 916.00 CuM (रु 10.64 .लाख एवं (Hand Packed Stone filling में 1127.32 CuM (रु 5.63 .लाख( अधिक कार्य किया गया। इस प्रकार उक्त दोनों मदों मे निर्धारित विशिष्टि के अनुसार कार्य नहीं किए जाने के कारण रु 16.27 .लाख का अधिक भुगतान किया गया।

6. स्कपर का निर्माण अनुमोदित संख्या 461.4 Rmt के सापेक्ष मात्र 335.30 Rmt किया गया जो कि 27.3 प्रतिशत कम है जबकि पीएमजीएसवाई के दिशा निर्देश के अनुसार स्कपर का निर्माण अनिवार्य था।

7.पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देश बिन्दु 3.13 & 3.14 के अनुसार जल निकासी सुनिश्चित करने हेतु नालियों एवं Cross-drainage का निर्माण किया जाना आवश्यक है। परंतु उपरोक्त निर्माण कार्य में पक्के नाली का निर्माण 0.25 किमी. के सापेक्ष शून्य था।

---

1 कार्य पूर्ण करने में 7 वर्ष 4 माह का विलंब हुआ।

8. इस प्रकार रु 182.72 .लाख का अतिरिक्त ब्यय एवं सात वर्षों से अधिक का विलंब होने के बावजूद उपरोक्त निर्माण कार्य में क्रॉस-ड्रेनेज के संबंध में पीएमजीएसवाई के दिशा निर्देशों एवं अनुमोदित विशिष्टियों के अनुरूप कार्य नहीं किया गया। उपरोक्त निर्माण में विशिष्टियों का पालन नहीं किए जाने के कारण रु. 71.67 लाख का अधिक भुगतान किया गया था एवं स्कपर, पैरापेट एवं पक्के नाली का निर्माण विशिष्टियों के अनुसार नहीं किए जाने के कारण कार्य अधोमानक थे।

विशिष्टि से विचलन कर निर्माण कार्य किए जाने के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया की स्लाइडिंग जोन होने के कारण अतिरिक्त निर्माण कार्य कराया गया है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीपीआर गठन के समय भी स्लाइडिंग जोन का तथ्य स्पष्ट था और तदनुरूप ही तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की गई थी। पक्की नाली एवं क्रॉस ड्रेनेज के बारे मे पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में बतलाया कि स्टेज-II में 759.00 मीटर नाली का निर्माण हुआ है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रश्न स्टेज-I के कार्यों के बारे में किया गया था।

अतः मोलागढ़-मताई मोटर मार्ग स्टेज-I में विशिष्टियों के अनुरुप कार्य नहीं कराये जाने के कारण रु 71.67 .लाख के अधिक भुगतान एवं अपूर्ण क्रासकार्य का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में ड्रेनेज के कारण अधोमानक- लाया जाता है।

**प्रस्तर**:2- **एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल** 14 **आबीमित** (non-insured) **कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से रु**. 31.56 **लाख की कटौती नहीं किया जाना।**

मानक निविदा अनुबंध(एसबीडी) का अनुच्छेद-13.4 प्रावधानित करता है कि एसबीडी में दी गई शर्ते URRDA/NRRDA की अनुमति के बिना नहीं बदली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद-13.5 निर्देशित करता है कि बीमा की शर्ते विभाग और ठेकदार दोनों को माननी होंगी। अनुच्छेद-52.2(f) स्पष्ट करता है कि ठेकेदार द्वारा बीमा सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराये जाने को 'Fundamental Breach of Contract' के अंतर्गत माना जाएगा और तत्संबंधित कटौती की प्रभावी दरें अनुच्छेद-13.3 (a) & (b)  मे दी गई हैं। एसबीडी का अनुच्छेद-13.6 प्रावधानित करता है कि यदि ठेकेदार द्वारा बीमा सुरक्षा के आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो नियोक्ता द्वारा वह सुरक्षा ली जाएगी जो ठेकेदार को लेनी थी और प्रीमियम्स की कटौती ठेकेदार के लंबित बिलों से की जाएगी। यदि ठेकेदार का कोई बिल लंबित नहीं है तो कटौतियाँ उधार देयता (debt due) के रूप में बनी रहेंगी।

Table-1

| S. No. | Item | Minimum cover for insurance | Maximum deductible for insurance (Phase XII-XIV) |
|---|---|---|---|
| 1. | Works, Plants & Materials | Equal to contract amount | 0.50% of contract amount |
| 2. | Loss or damage to Equipment | 10% of contract amount | 0.25% of contract amount |
| 3. | Other properties | 5% of contract amount | 0.25% of contract amount |

इकाई की नमूना लेखा परीक्षा जांच मे पाया गया कि Letter of Acceptance मे उपरोक्त अनिवार्य प्रावधान एवं कटौती का उल्लेख नहीं किया गया था। वर्तमान में पीएमजीएसवाई योजना का 14वां चरण चल रहा है। अब तक इकाई द्वारा पीएमजीएसवाई फेज XII से फेज XIV तक रु. 6117.80 लाख  के बॉण्ड के सापेक्ष कुल 15 कार्य संपादित किए गए थे। इन 15 कार्यों मे से मात्र 01 कार्य[2] का बीमा कराया गया है अर्थात 14 कार्यों (बॉन्ड लागत: रु. 5871.23 लाख) का एसबीडी के अनुसार बीमा-आच्छादन नहीं प्राप्त किया गया था। ठेकेदारों द्वारा बीमा नहीं लिए जाने की स्थिति मे नियमानुसार ठेकेदारों के देयकों से कटौती कर इकाई को निर्माण कार्यों का बीमा कराना चाहिए था।

इन 14 निर्माण कार्य के अनुबंधों पर किए जाने वाले अनिवार्य बीमा कटौतीयों की गणना निम्नवत है-

Table-2

[2] रीठोली सुंदरगाँव मोटर मार्ग, स्टेज-I & स्टेज-II,   UT-03-21, अनुबंध लागत 246.57 .रु :लाख

Calculation of Insurance deduction from phase XII to XIV of E.E., PMGSY(PWD), Karanprayag-2

| S. No. | Name of Work/Phase | Sanctioned Actual Amount | deduction rate as per 13(a)(b)(1) | deduction amount as per 13(a)(b)(1) | deduction rate as per 13(a)(b)(2) | deduction amount as per 13(a)(b)(2) | deduction rate as per 13(a)(b)(3) | deduction amount as per 13(a)(b)(3) | total amount of deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phase XII(07) | 4898.42 | 0.50% of contract amount | 24.4921 | 0.25% of 10% of contrat amount | 1.224605 | 0.25% of 5% of contract amount | 0.6123025 | 26.3290075 |
| 2 | Phase XIII(02) | 726.24 | 0.50% of contract amount | 3.6312 | 0.25% of 10% of contrat amount | 0.18156 | 0.25% of 5% of contract amount | 0.09078 | 3.90354 |
| 3 | Phase XV(05) | 246.57 | 0.50% of contract amount | 1.23285 | 0.25% of 10% of contrat amount | 0.0616425 | 0.25% of 5% of contract amount | 0.03082125 | 1.32531375 |
| | **Total (14)** | **5871.23** | | **29.35615** | | **1.4678075** | | **0.73390375** | **31.5579** |

इस प्रकार एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार इकाई को कुल 14 कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से रु. 31.56 लाख की कटौती करनी थी, जिसे इकाई द्वारा नहीं किया गया और तदनुसार 14 निर्माण कार्यों हेतु बीमा-सुरक्षा भी इकाई द्वारा प्राप्त नहीं किया गया जबकि प्रत्येक चरण के मानक अनुबंध मे बीमा-सुरक्षा के संबंध मे स्पष्ट प्रावधान किए गए थे।

**इस प्रकार एसबीडी के प्रावधानों एवं पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुल** 14 **आबीमित** (non-insured) **कार्यों के सापेक्ष ठेकेदारों के देयकों से रु**. 31.55 **लाख की कटौती नहीं किए जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता है।**

## STAN

**प्रस्तर :3- रु. 1.92 लाख की टीआई/पीआई का समायोजन नहीं किया जाना।**

वित्तीय हस्त पुस्तिका Vol-VI का नियम संख्या-172 के अनुसार अस्थायी अग्रिम खातों को जितना शीघ्र हो सके बंद (समायोजन द्वारा) कर देना चाहिए।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी), कर्णप्रयाग-02 के टी0 आई0 / पी0 आई0 से संबंधित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्नलिखित अग्रिम एक वर्ष से ऊपर की अवधि से असमायोजित हैं-

List of Unclosed T.I. as on 15.06.2018

| Sl. No. | Particulars | Date of Opening | Date of closing | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shri Hukum Singh (JE) | 30.10.15 | - | 23068.00 |
| 2 | Shri Ajay Singh JE | 30.03.16 | - | 68290.00 |
| 3 | Shri Ajay Kmar JE | 30.03.16 | - | 2870.00 |
| 4 | Shri Sudhir Kumar | 31.03.17 | - | 33620.00 |
| 5 | Shri Sudhir Kumar | 31.03.17 | - | 63990.00 |
| | Total | | | **191838.00** |

उपरोक्त रु. 1.92 लाख का अग्रिम एक वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजूद असमायोजित रहने के कारणों के बारे मे लेखापरीक्षा द्वारा पुछे जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बतलाया कि शीघ्र ही समायोजन की कार्यवाही की जाएगी। उत्तर लेखापरीक्षा को मान्य नहीं हैं क्योंकि टीआई/पीआई अग्रिम बिना समायोजन के एक वर्ष से अधिक समय से पड़े हुए थे।

अतः रु. 1.92 लाख का अग्रिम एक वर्ष से अधिक समय हो जाने के बावजूद असमायोजित रहने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान मे लाया जाता है।

# भाग–III

**विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः**

| **निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या** | **भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या** | **भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या** | **स्टैन, यदि हो** | **अनिस्तारित प्रस्तरों का अनुपालन** |
|---|---|---|---|---|
| 164/1497-2015-16 | 01 | 01 | ... | अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या इकाई द्वारा सीधे ही महालेखाकार (ले0 प0) को भेजी जाएगी |

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः  शून्य

# भाग–IV

## इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

## भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार **व्यक्त** करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

(i)
(ii) –– शून्य ––

2. सतत् अनियमितताऐंः

(i)
(ii) –– शून्य ––

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

| **क्र0 सं0** | **नाम** | **पदनाम** | **अवधि** |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री धन सिंह रावत | अधिशासी अभियंता | 13.04.2015 से 02.06.2016 तक |
| 2. | श्री हरीश च0 भट्ट | अधिशासी अभियंता | 02.10.2016 से 18.06.2016 तक |
| 3 | चन्दन सिंह नेगी | अधिशासी अभियंता | 18.06.2011 से 06.02.2016 तक |
| 4 | डी एस रावत | अधिशासी अभियंता | 06.07.2011 से 22.07.2016 तक |
| 5 | श्री अलीम अख्तर | अधिशासी अभियंता | 22.07.2016 से 22.12.2016 तक |
| 6 | आर पी सिंह | अधिशासी अभियंता | 22.12.2016 से 11.05.2017 तक |
| 7 | अलीम अख्तर | अधिशासी अभियंता | 11.05.2017 से 16.08.2017 तक |
| 8 | राजकुमार | अधिशासी अभियंता | 16.08.2017 से 16.09.2017 तक |
| 9 | अलीम अख्तर | अधिशासी अभियंता | 16.09.2017 से अब तक |

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **कार्यालय अधिशासी अभियंता, पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0 (पीडबल्यूडी प्रखण्ड), कर्णप्रयाग-2** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

**वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र**